© JUN 2026 | IRE Journals | Volume 9 Issue 12 | ISSN: 2456-8880
DOI: https://doi.org/10.64388/IREV9I12-1719199

संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त राजभाषा – हिन्दी

डॉ. रीता सिंह
प्राचार्य, सांदीपनि एकेडमी, पेण्ड्री (मस्तूरी), बिलासपुर (छ.ग.)

सार- *भारत के संविधान में राजभाषा के रूप में हिन्दी भाषा भारत की राजभाषा है। संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को हिन्दी को राजभाषा घोषित किया था। इस दिन संविधान सभा में लम्बी चर्चा के बाद 14 सितम्बर सन् 1949 को हिन्दी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया था। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के सम्बन्ध में व्यवस्था की गयी। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिए 14 सितम्बर का दिन प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितम्बर की शाम को संविधान सभा में हुई बहस के समापन के बाद जब संविधान की भाषा सम्बन्धी तत्कालीन भाग 17 (क) और भाग 17, संविधान का भाग बन गया तब डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने अपने भाषण में बधाई के कुछ शब्द कहे। उन्होंने कहा, आज पहली बार ऐसा संविधान बना है जब कि हमने अपने संविधान में भाषा रखी है, जो सभी के प्रशासन की भाषा होगी। इस अपूर्व अध्याय का देश के निर्माण पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने इस बात पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की कि संविधान सभा ने अत्यधिक बहुमत से भाषा-विषयक प्रावधानों को स्वीकार किया। अपने वक्तव्य में उन्होंने जो कहा वह अविस्मरणीय है। उन्होंने कहा यह मानसिक दशा का भी प्रश्न है जिसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। हम केन्द्र में जिस भाषा का प्रयोग करेंगे उससे हम एक-दूसरे के निकटतर आते जायेंगे। अवधि अंग्रेजी से हम निकटतर आए हैं, क्योंकि वह एक भाषा थी। अब उस अंग्रेजी के स्थान पर हमने एक भारतीय भाषा को अपनाया है। इससे निश्चित ही हममें से किसी से कोई संदेह नहीं होगा, विशेषतः इसलिए कि हमारी परम्पराएँ एक हैं, हमारी संस्कृति एक है और हमारी सभ्यता भी एक ही है। यदि हम इस सूत्र को स्वीकार नहीं करते तो परिणाम यह होता कि या तो इस देश में बहुत-सी भाषाओं का प्रयोग होता या प्रांत पृथक हो जायेंगे जो बाध्य होकर किसी भाषा विशेष को स्वीकार करना नहीं चाहेंगे। हमने यथासम्भव बुद्धिमानी का कार्य किया है। मुझे पूरी आशा है कि आने वाली पीढ़ी इसी नीति का अनुसरण करेगी। संविधान की धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिन्दी एवं लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त गढ़तिया अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक जैसा है (अर्थात 1, 2, 3 आदि) है। एक इस प्रकार संघ में यह भी व्यवस्था की गई कि राजकीय प्रयोजनों के लिए 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। तथापि यह प्रावधान किया गया कि उक्त अवधि के दौरान भी राष्ट्रपति कतिपय विशिष्ट प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग का प्राधिकर दे सकते हैं।*

I. प्रशासनिक कार्यप्रणाली

भाषाई आधार पर संसद का कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। परन्तु राज्यसभा के उपसभापति या लोकसभा के अध्यक्ष विशेष परिस्थिति में सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को सम्बोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। यह हमें (संविधान का अनुच्छेद 120) में बताया गया है। किन प्रयोजनों के लिए केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाये, किनके लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग आवश्यक है, और किन कार्यों के लिये अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना है, यह सभी नियम राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 के अन्तर्गत समय-समय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निर्देशों द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत विश्व का एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ भाषाओं में विविधता देखने को मिलती है और यह उसकी सांस्कृतिक और सभ्यतागत सम्पन्नता का प्रतीक है। भारत देश में सैकड़ों भाषाएँ और बोलियाँ प्रचलित हैं, जिनमें प्रत्येक का अपना ही ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व देखने को मिलता है। देश के शासन तथा केन्द्रीय स्तर के प्रशासन का राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया आधार है, तब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक यह था कि शासन, प्रशासन और संविधान की भाषा क्या हो? अर्थात हमारे देश की प्रशासनिक कार्य प्रणाली की भाषा क्या हो? इस संदर्भ में हिन्दी भाषा का चयन किया गया। लेकिन हिन्दी भाषा केवल भाषाई निर्णय नहीं थी, बल्कि इस लोकतंत्र, जनगण, राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक सुगमता से जुड़ा हुआ निर्णय था। संविधान में राजभाषा के रूप में हिन्दी का योगदान भारतीय लोकतंत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है, जो आज भी अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।

हम सब यह बात भली भांति जानते हैं कि भारत एक बहुभाषी और विविध संस्कृत, धर्मों को मानने वाला राष्ट्र है, जहाँ भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता और

सांस्कृतिक पहचान का सशक्त आधार है। भारत देश की स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में हिन्दी भाषा को संवैधानिक रूप से राजभाषा के रूप में विशेष स्थान प्रदान किया गया। हिन्दी को यह राजभाषा भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है।

भारतीय संविधान में भाषा के प्रश्न को अत्यंत संवेदनशील और महत्व दृष्टिकोण से सुलझाया गया। संविधान के भाग 17 (अनुच्छेद 343 से 351) में राजभाषा सम्बन्धी प्रावधान बताए गए हैं। भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 343 में बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिन्दी तथा लिपि देवनागरी होगी। यह व्यवस्था इसलिए की गई ताकि प्रशासनिक कार्यों की भाषा आम जनता की समझ से जुड़ सके और लोकतंत्र के मूल जनाधार को गहराई तक सशक्त कर सके। भारत की विविधता में हिन्दी के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं को भी संरक्षण प्रदान किया गया, जिससे भाषाई विविधता का सम्मान बना रहे और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने का एक प्रयास रहे।

प्रशासनिक क्षेत्र में हिन्दी की भूमिका निरंतर बढ़ी है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा कई क्षेत्रों में हिन्दी में कार्य किया जा रहा है। प्रशासन में हिन्दी के प्रयोग से सरकारी कार्यवाही आम नागरिकों के लिए अधिक सहज और पारदर्शी बनी है। जब आदेश, अधिसूचनाएँ, आवेदन पत्र और सूचनाएँ हिन्दी में उपलब्ध होती हैं, तो नागरिकों में शासन के प्रति भागीदारी बढ़ती है। इससे प्रशासन और जनता के बीच की दूरी कम होती है तथा सुशासन की भावना को बल मिलता है।

राजभाषा के रूप में हिन्दी ने राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं, वहीं हिन्दी संपर्क भाषा के रूप में विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य करती है। यह भाषा उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक लोगों के बीच संवाद के रूप में सेतु का कार्य करती है। हिन्दी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन के दौरान भी जनता को देश के प्रति जागरूक करने में अहम भूमिका निभाई, जिसका प्रभाव आज भी देश और समाज में देखा जा सकता है।
इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णित हिन्दी भाषा के विकास और प्रचार-प्रसार का निर्देश दिया गया है। इसका तात्पर्य हिन्दी को समृद्ध करने एवं अन्य भारतीय भाषाओं से आत्मसात करने और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के विकास पर बल दिया गया है। इससे हिन्दी आधुनिक भारत में ज्ञान और प्रशासन की भाषा के रूप में मजबूत बन गई है।

तकनीकी, वैज्ञानिक और विधिक क्षेत्र में हिन्दी की बात करें तो वर्तमान समय में यह चुनौती थी कि हिन्दी को तकनीकी और वैज्ञानिक भाषा के रूप में कैसे विकसित किया जाए जिससे हिन्दी भाषा को और अधिक बढ़ावा मिल सके। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत वैज्ञानिक भाषा, विधिक भाषा, प्रशासनिक भाषा का विकास अत्यधिक मात्रा में किया जा रहा है। आज कम्प्यूटर, ई-गवर्नेंस, मोबाइल एप, ई-लर्निंग और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों में हिन्दी की भूमिका लगातार बढ़ रही है और मनुष्यों के इसके प्रयोग से किसी कार्य को करने में मदद मिल रही है। भारत में हिन्दी और ई-शासन (E & Governance) का विस्तार हुआ है।

डिजिटल युग में भी हिन्दी तेजी से ऑनलाइन बढ़ रही है। आज सरकारी पोर्टल, मोबाइल एप्स और ऑनलाइन सेवाओं में हिन्दी की उपलब्धता को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह नागरिकों का अधिकार बनता है कि वे अपनी भाषा में सेवा प्राप्त करें। हिन्दी प्रशासनिक सेवाओं को सरल और अत्यधिक सहज बनाती है, यह हिन्दी के विकास का आधुनिक स्वरूप है।

भारत की किसी भी कार्य प्रणाली में चाहे वह संविधान हो अथवा प्रशासनिक सभी में हिन्दी का महत्व इसलिए है क्योंकि इसे संघ की राजभाषा (अनुच्छेद 343) का दर्जा प्राप्त है, जो सरकारी कामकाज को आम जनता तक आसानी से पहुँचाने, राष्ट्रीय एकता को मजबूती देने में और भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने हेतु संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है। यह संविधान के भाग-17 के तहत विभिन्न अनुच्छेदों (जैसे 343 से 351) द्वारा वर्णित है और प्रशासनिक, एवं न्यायिक कार्यों में इसके उपयोग का प्रावधान बताती है।

II. संविधान के प्रावधानों में वर्णित राजभाषा दर्जा

अनुच्छेद 343(1) के तहत, हिन्दी (देवनागरी लिपि में) संघ की राजभाषा को बताया गया है। प्रशासनिक उपयोगों के लिये भी संविधान किसी भी राष्ट्र का कार्य करने के लिए या राजकीय कामकाज के लिए हिन्दी का प्रयोग को बढ़ावा देता है। भारत की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम भी हिन्दी ही बन सके। संसद और न्यायालयों में भाषा के

© JUN 2026 | IRE Journals | Volume 9 Issue 12 | ISSN: 2456-8880
DOI: https://doi.org/10.64388/IREV9I12-1719199

प्रयोग के लिए अनुच्छेद 120 और 210 संसद और राज्य विधानसभाओं में कामकाज की भाषा के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को निर्धारित करता है। प्रशासन में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन से जुड़े कार्यों के लिए हिन्दी भाषा को भारत की अधिकांश जनता द्वारा समझी और पढ़ी जाती है, जिससे कामकाज और सरकारी आदेश आम लोगों तक आसानी से पहुँचते हैं, खासकर कम पढ़े-लिखे वर्गों तक।

राष्ट्रीय एकता में भी यह देश के विभिन्न हिस्सों के बीच संवाद को कड़ी (संपर्क भाषा) के रूप में कार्य करती है। राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है। भारतीय सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की बात करें तो यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहज रूप से प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सांस्कृतिक और प्रशासनिक कार्यक्रमों में सरल और सहज भाषा का प्रयोग होने से राष्ट्रीयता बढ़ती है और भ्रष्टाचार कम होता है। संक्षेप में, हम यह कह सकते हैं कि हिन्दी न केवल एक भाषा है, बल्कि भारतीय संविधान और प्रशासन की रीढ़ की हड्डी है, जो देश को भाषाई और सांस्कृतिक रूप से एकजुट रखने में अपनी अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

हिन्दी भाषा के विकास में आने वाली चुनौतियों की बात करें तो हम अनेकों प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं, उसके बाद भी हिन्दी का योगदान अत्यधिक व्यापक बनना कोई अतिशयोक्ति नहीं मानी जा सकती है, फिर भी कुछ चुनौतियाँ एवं समस्याएँ मौजूद हैं, जैसे अंग्रेजी का बढ़ता प्रभाव एवं उच्च तकनीकी शिक्षा में हिन्दी की सीमित उपलब्धता को भी हम नकार नहीं सकते, तथापि अब पूर्वी भारत में हिन्दी के प्रति संकोच अपेक्षाकृत कम मात्रा में देखने को मिलता है। इन चुनौतियों का समाधान सहानुभूतिपूर्ण भाषाई प्रेम और समन्वयी दृष्टिकोण से ही संभव है। हिन्दी के साथ अगर हम अन्य भारतीय भाषाओं की बात करें तो संविधान ने देश में हिन्दी भाषा को बढ़ावा देते हुए अन्य भारतीय भाषाओं को भी समान रूप से सम्मान पूर्वक बोलने और उनका उपयोग करने पर भी बल दिया है। हिन्दी का विकास किसी अन्य भाषा के विरोध में नहीं, बल्कि सह-अस्तित्व और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है।

III. संविधान में राजभाषा से संबंधित प्रावधान

भारतीय संविधान के भाग 17 (अनुच्छेद 343 से 351) में राजभाषा से संबंधित विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। संविधान निर्माताओं ने भाषा के प्रश्न को अत्यंत संतुलित और दूरदर्शी दृष्टिकोण से वर्णित किया है।

'अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। इसके साथ ही यह भी प्रावधान किया गया कि संविधान के प्रारंभ के बाद एक निश्चित अवधि तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी किया जा सकेगा। यह व्यवस्था इसलिए की गई ताकि प्रशासनिक कार्यों में अचानक कठिनाई उत्पन्न न हो सके।'

'अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग और संसदीय समिति के गठन का प्रावधान है। इन संस्थाओं का उद्देश्य राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा करना तथा उसके विकास और कार्यान्वयन के लिए सुझाव देना रहा है।'

'अनुच्छेद 345 राज्यों को यह अधिकार देता है कि वे अपने राज्य की आधिकारिक भाषा निर्धारित कर सकें। इससे भाषाई विविधता को सम्मान मिले और राज्यों की स्वायत्तता बनी रही।'

'अनुच्छेद 351 में हिन्दी भाषा के विकास और प्रचार-प्रसार को निर्देशित किया गया है। इसमें कहा गया है कि हिन्दी को इस प्रकार विकसित किया जाए कि वह भारत की सांस्कृतिक विविधता को अभिव्यक्त कर सके और आधुनिक ज्ञान, विज्ञान एवं तकनीकी की भाषा बन सके।'

IV. हिन्दी को राजभाषा बनाए जाने का औचित्य

हिन्दी को संघ की राजभाषा बनाए जाने के पीछे कई ठोस वजहें थीं। प्रथम, हिन्दी देश की बहुसंख्यक जनता द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा है। द्वितीय, यह भारत की सांस्कृतिक परंपरा से गहराई से जुड़ी हुई है। तृतीय, हिन्दी में अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करने की अद्भुत क्षमता है, जिससे यह एक समन्वयकारी भाषा बनती है। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य यह था कि शासन की भाषा विदेशी न होकर स्वदेशी हो, जिससे जनता शासन में स्वयं को सहभागी अनुभव कर सके।

V. राजभाषा और लोकतंत्र

लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जनता शासन को कितना समझती है और उसमें कितनी सक्रिय

भूमिका निभाती है। यदि शासन की भाषा जनता की समझ से बाहर हो, तो लोकतंत्र केवल औपचारिक बनकर रह जाता है। हिन्दी को राजभाषा बनाए जाने से सरकारी नीतियाँ, योजनाएँ और निर्णय आम नागरिकों तक सरलता से पहुँचने लगे। इससे लोकतांत्रिक सहभागिता को बल मिला और नागरिकों में अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी।

VI. राजभाषा हिन्दी और प्रशासन

प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी के प्रयोग से शासन अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बना है। सरकारी पत्राचार, अधिसूचनाएँ, कार्यालय ज्ञापन और जनकल्याणकारी योजनाएँ जब हिन्दी में उपलब्ध होती हैं, तो जनता शासन से सीधे जुड़ी रहती है। इससे प्रशासन और नागरिकों के बीच विश्वास की भावना सुदृढ़ होती है। आज केंद्र सरकार के अनेक विभागों और सार्वजनिक संस्थानों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

VII. राजभाषा और राष्ट्रीय एकता

भारत की भाषाई विविधता उसकी शक्ति है, किंतु यह विविधता यदि संतुलित न हो तो विवादों का कारण भी बन सकती है। हिन्दी ने राजभाषा के रूप में संपर्क भाषा की भूमिका निभाई है। विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के लोग हिन्दी के माध्यम से एक-दूसरे से संवाद स्थापित कर पाते हैं। इससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बल मिलता है।

VIII. चुनौतियाँ और आलोचनाएँ

यद्यपि संविधान की राजभाषा नीति संतुलित है, फिर भी कुछ चुनौतियाँ सामने आती रही हैं। कुछ राज्यों में हिन्दी को थोपे जाने की आशंका व्यक्त की गई। अंग्रेजी भाषा का प्रभाव अब भी प्रशासन और उच्च शिक्षा में बना हुआ है। तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में हिन्दी की शब्दावली को और सशक्त करने की आवश्यकता है। इन चुनौतियों का समाधान सह-अस्तित्व और सहयोग की भावना से ही संभव है, न कि किसी भाषा के वर्चस्व से।

IX. निष्कर्ष

हमें यह स्पष्ट होता है कि हिन्दी भाषा का योगदान भारत देश में केवल भाषाई सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र, प्रशासनिक व्यवस्था और संवैधानिक चेतना की आधारशिला के रूप में स्थापित हो चुकी है। भारतीय संविधान ने हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देकर इसे प्रशासनिक कार्य की भाषा बनाकर जनसाधारण की भाषा से जोड़े रखा है। इससे लोकतंत्र को औपचारिक ढाँचे से निकालकर जन-जीवन से जोड़ने में सहजता एवं सुगमता मिली। प्रशासनिक क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग ने शासन को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और जनमुखी बनाया है। सरकारी आदेशों, योजनाओं और नीतियों को हिन्दी में क्रियान्वित आम नागरिकों की सहभागिता को बढ़ावा देने तथा प्रशासन और जनता के बीच विश्वास की भावना को और अधिक मजबूत बनाता है। राजभाषा के रूप में हिन्दी ने भारत की बहुभाषी संरचना में संपर्क भाषा की भूमिका निभाकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत किया है।

लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, शिक्षा, न्याय और डिजिटल प्रशासन में हिन्दी की बढ़ती उपस्थिति इस तथ्य को सिद्ध करती है कि यह भाषा आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को निरंतर विकसित करते हुए विकास की ओर बढ़ रही है। यद्यपि वैश्वीकरण और अंग्रेजी के प्रभाव जैसी चुनौतियाँ मौजूद हैं, फिर भी संविधान द्वारा प्रदत्त संरक्षण और नीतिगत प्रयासों के कारण हिन्दी का भविष्य सुदृढ़ दिखाई देता है।

अतः कहा जा सकता है कि संविधान, प्रशासन और राजभाषा के रूप में हिन्दी भाषा न केवल भारतीय लोकतंत्र की संवाहक है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक एकता और प्रशासनिक दक्षता का भी सशक्त माध्यम है। भविष्य में भी हिन्दी अन्य भारतीय भाषाओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुए राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी।

संदर्भ सूची (REFERENCES)

[1] भारत का संविधान – भारत सरकार, नई दिल्ली।

[2] रामविलास दास – भाषा, समाज और संस्कृति, राजकमल प्रकाशन।

[3] महात्मा गांधी – हिंद स्वराज, नवजीवन प्रकाशन।

[4] हरदेव बाहरी – राजभाषा हिन्दी : सिद्धांत और व्यवहार, केंद्रीय हिन्दी निदेशालय।

[5] रामधारी सिंह 'दिनकर' – संस्कृति के चार अध्याय, लोकभारती।

[6] केंद्रीय हिन्दी निदेशालय – राजभाषा नीति और कार्यान्वयन, भारत सरकार।

[7] हिन्दी राजभाषा अधिनियम, 1963।

[8] स्वयं के विचार।

[9] इंटरनेट संचार माध्यम।